

[First published in the Rajasthan Gazette Extraordinary
Part IV-A dated 11-4-1974.]

विधि विभाग

पधिसूचना

अयपुर, अप्रेल 11, 1974

संख्या प.2(2) विधि/74:—राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नोक्त अधि-
नियम, जिसे राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अप्रेल, 1974 ई. को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा
सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974

(अधिनियम संख्या 5 सन् 1974)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अप्रेल, 1974 को प्राप्त हुई]

तेंदू पत्ते के व्यापार में, राज्य सरकार का एकाधिकार स्थापित कर लोकहित में
ऐसे व्यापार का विनियमन करने के निम्ने उपबन्ध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्न-
लिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं शारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम
राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 है ।

Price: Rs. 0.75 B

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसी तारीखों या तारीखों से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, समय समय पर, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिश्चित करे।

2. परिभाषाएँ.—इस अधिनियम में जहाँ तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिकर्ता" से, भाग 4 के मधीन नियुक्त अधिकर्ता अभिप्रेत है;
- (ख) "नमिति" से, भाग 6 की उप-धारा (1) के मधीन एक अथवा अधिक वन खण्डों के लिए गठित गलाहकार समिति अभिप्रेत है;
- (ग) "तेंदू वृक्षों उपजाऊं वाले" से अभिप्रेत है-

(i) राज्य सरकार, तेंदू के ऐसे पौधों के सम्बन्ध में जो ऐसे क्षेत्रों में उगाये गये हों जिनका गठन, समय समय पर, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 13) के अधीन प्रारक्षित अथवा संरक्षित वनों के रूप में किया गया हो;

(ii) राज्य सरकार, तेंदू के ऐसे पौधों के सम्बन्ध में जो ऐसे पंचायत क्षेत्रों में उगाये गये हों जो राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) की धारा 2 के खण्ड (7) तथा भाग 88 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) में परिभाषित है; और

(iii) उप-खण्ड (i) तथा उप-खण्ड (ii) के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में उगाये गये तेंदू के पौधों के सम्बन्ध में:-

[क] राज्य सरकार, जहाँ तेंदू के पौधे ऐसी अनधिकारी भूमि पर लगाये गये हों जो राजस्थान तीनेन्वी अधिनियम, 1955 की धारा 5 के खण्ड (27) में परिभाषित है या जहाँ तेंदू के वृक्ष ऐसी सरागाह भूमि पर उगाये गये हों जो उक्त अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (28) में परिभाषित है;

[ख] भूमिधारी या काश्तकार, यथास्थिति, भूमि की ऐसी इकाई के सम्बन्ध में जिस पर तेंदू के पौधे उगते हैं और इसमें प्रत्येक बड़ा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो, समय समय पर, उसके माध्यम से तेंदू के ऐसे पौधों के हक का दावा करता है;

[ग] राजस्थान मूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम 16) के अधीन मूदानधारी और राजस्थान

प्रामदान अधिनियम, 1971 (1971 का राजस्थान अधिनियम 12) के अधीन प्रामदान मिमान, यथास्थिति, भूमि की ऐसी इकाई के सम्बन्ध में जिस पर तेंदू के पीछे उगाते हैं और इसमें प्रत्येक वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो समय समय पर, उसके माध्यम से, तेंदू के ऐसे पीछों के हक का दावा करता है;

[घ] तेंदू के पत्तों के सम्बन्ध में "लाइसेंस प्राप्त विक्रेता" से, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऐसे पत्तों की खुदरा बिक्री के लिए धारा 13 के अधीन लाइसेंस मंजूर किया गया है;

[ङ] "खुदरा बिक्री" से तेंदू पत्तों की ऐसी बिक्री अभिप्रेत है जो ऐसे पत्तों के सम्बन्ध में ऐसी मात्रा से अधिक न हो जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय;

[च] "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय;

[छ] "काश्तकार" का वही अर्थ होगा जो कि राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 5 के खण्ड (43) द्वारा इस अधिनियम को समनुदेशित किया गया है;

[ज] "इकाई" से विनिर्दिष्ट क्षेत्र का वह उप-खण्ड अभिप्रेत है जिसका धारा 3 के अधीन इकाई के रूप में गठन किया गया हो।

[झ] इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जिनको राजस्थान बन अधिनियम, 1953 (सन् 1953 का राजस्थान अधिनियम 13) में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

3. इकाइयों का गठन.—राज्य सरकार प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसी संख्या में इकाइयों के रूप में विभाजित कर सकती है, जो वह उचित समझे।

4. अभिकर्ताओं की नियुक्ति.—(1) राज्य सरकार, अपनी ओर से तेंदू के पत्तों के क्रय एवं व्यापार के प्रयोजनार्थ विभिन्न इकाइयों के सम्बन्ध में, एक अथवा अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगी तथा ऐसे किसी भी अभिकर्ता की नियुक्ति एक से अधिक इकाइयों के लिये भी कर सकेगी।

(2) अभिकर्ताओं को नियुक्त नहीं शर्तों, नियमन एवं प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी भी विहित की जाय।

8. तैदू पत्तों के क्रय अथवा परिवहन पर विनियमन—(1) किसी भी क्षेत्र में धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन अभिमाना जारी करने पर—

(क) राज्य सरकार ;

(ख) इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई अधिकारी ;

(ग) उस इकाई से सम्बन्धित अभिकर्ता, जिसमें तैदू पत्ते उगे हैं; कि अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति तैदू पत्तों का क्रय अथवा परिवहन नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :—i. क्रय में वस्तु विनियम द्वारा क्रय भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण :—ii. सरकार या पूर्वोक्त अधिकारी या अभिकर्ता या लाईसेंस प्राप्त विक्रेता में किया गया तैदू के पत्तों का क्रय, इस अधिनियम के उपबन्धों के उत्संघन में किया गया क्रय नहीं समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण :—iii. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका हित किसी होटिंग में न हो किन्तु जिसने ऐसी होटिंग पर उगे हुये तैदू के पत्तों के संग्रह करने का अधिकार अर्जित कर लिया हो, ऐसा समझा जायेगा कि उसने ऐसे पत्तों का क्रय इस अधिनियम के उपबन्धों के उत्संघन में किया है।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी,

(क) तैदू के पत्ते उपजाने वाला, इकाई के अन्दर ऐसे किसी स्थान से, जहाँ ऐसे पत्ते उगे हों, अपने पत्तों का परिवहन उस इकाई के किसी भी अन्य स्थान को कर सकता है, और

(ख) राज्य सरकार या उपरत उप-धारा में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी या अभिकर्ता से, राज्य में बीटिंग बनाने के लिये किसी व्यक्ति द्वारा या, राज्य के बाहर विक्री के लिये किसी व्यक्ति द्वारा या लाईसेंस प्राप्त विक्रेता द्वारा खरीदे गये तैदू के पत्तों का उस इकाई के बाहर परिवहन ऐसे व्यक्ति या विक्रेता द्वारा ऐसे अधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किये गये अनुज्ञापत्र की शर्तों एवं निबन्धनों एवं ऐसी रीति से किया जा सकेगा जो विहित की जाय।

(3) तेंदू के पत्ते बेचने को बाध्या करने वाला कोई व्यक्ति उक्त इकाई के भीतर स्थित किसी भी डिपो पर, पूर्वोक्त सरकारी अधिकारी या अधिकर्ता को उनकी बिन्धी कर सकता है :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सरकारी अधिकारी या अधिकर्ता, एक बार बेचे गये तेंदू के पत्तों को पुनः खरीदने के लिये बाध्या नहीं होगा ।

6. सलाहकार समिति का गठन.—(1) जुलाई के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाले और उसके बाद आने वाली जून की 30 तारीख को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिये, राज्य सरकार, राज्य के एक अथवा अधिक तहसीलों के लिये एक सलाहकार समिति का गठन करेगी, जिसमें अधिकतम वे पांच सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर, अधिसूचित किए जावें, जो तेंदू के पत्तों को ऐसी उचित एवं युक्तियुक्त कीमत नियत करने के मामले में राज्य सरकार को, समय समय पर, सलाह देगी, जिन्हा कीमत पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्वय में ऐसे लण्ड या खण्डों में बिन्धी के लिये, प्रस्तावित तेंदू के पत्तों की खरीद, राज्य सरकार या इसके प्राधिकृत अधिकारी या अधिकर्ता द्वारा की जा सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसे सदस्यों में से एक सदस्य तेंदू के पत्तों के व्यापारियों या बीड़ी बनाने वालों में से और एक सदस्य उन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्यों में से होगा ।

(2) समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को ऐसे अन्य मामलों पर भी सलाह दे जो उसे राज्य सरकार द्वारा निदिष्ट किये जायं ।

(3) समिति का कार्य संचालन ऐसी रीति से किया जायगा, जो विहित की जाय ।

(4) समिति के सदस्य ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो विहित किये जायं ।

(5) समिति राज्य सरकार को अपनी सलाह ऐसी कालावधि के भीतर देगी जो राज्य सरकार इस निमित्त प्रत्येक समिति के लिये विनिर्दिष्ट करे ।

7. राज्य सरकार द्वारा समिति के परामर्शों में कीमत नियत करना.—राज्य सरकार, धारा 6 के अधीन गठित समिति से परामर्श करने के पश्चात्, ऐसी कीमत नियत करेगी जिस पर उसके द्वारा या उसके किसी प्राधिकृत अधिकारी या अधिकर्ता द्वारा तेंदू के पत्ते उपजाने वालों से तेंदू के पत्ते उगाने के दौरान खरीदे जायें जिसके लिए समिति का गठन धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन किया गया है और उसका प्रकाशन राजपत्र में एवं अन्य ऐसी रीति से करेगी जो विहित की जाय और इस प्रकार नियत कीमत में उस वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जिससे कीमत संबंधित है :

परन्तु यह कि यदि समिति धारा 6 की उप-धारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या अधिकतम पन्द्रह दिनों के अतिरिक्त कालावधि के भीतर, जिसकी

प्रनुज्ञा सरकार दे, सलाह देने में प्रयत्न रहे तो, राज्य सरकार समिति के परामर्श के बिना कीमत नियत करने की कार्यवाही कर केगी ;

परन्तु यह और कि विभिन्न इकाइयों के लिए विभिन्न कीमतें नियत की जा सकेंगी, और ऐसा करने में अन्य बातों के साथ साथ निम्न बातों पर भी ध्यान दिया जायेगा :—

- (क) इकाई में समाविष्ट क्षेत्र में निगत तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन तेंदू के पत्तों की प्राप्त या नियत कीमतों पर;
- (ख) इकाई में उपजे तेंदू के पत्तों के गुण पर;
- (ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधाओं पर;
- (घ) परिवहन की लागत पर; और
- (ङ) इकाई में प्रकुशल श्रमिकों के लिये प्रचलित मजदूरी के सामान्य स्तर पर।

8. डिपो लोचन गज डिपो पर तेंदू पत्तों की यात्रा का परामर्श करना .—प्रत्येक इकाई में ऐसा संख्या में एवं ऐसे स्थानों पर डिपो खोले जायेंगे जो कि राज्य सरकार तेंदू के पत्तों उपजाने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियत करे और धारा 7 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत तेंदू के पत्तों की एक मूल्य सूची एवं कारवार का समय ऐसे प्रत्येक डिपो पर इस प्रयोजनार्थ रखे गये नोटिस बोर्ड पर विशेष रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।

9. राज्य सरकार या अभिकर्ता द्वारा तेंदू पत्तों की खरीद .—(1) राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता कारवार के समय के दौरान डिपो पर विक्री के लिये उरी प्रस्तावित तेंदू के पत्तों ऐसी कीमत पर खरीदने के लिये प्रावृद्ध होगा जो धारा 7 के अधीन नियत की गई हो।

परन्तु यह कि राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता तेंदू के ऐसे पत्तों को खरीदने से इन्कार कर सकेगा जो कि उनकी राय में बीडी बनाने के प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त हों। उस प्राधिकारी द्वारा सम्बन्ध रूप से हस्ताक्षरित, दिनांकित तथा मुद्रांकित ऐसी इन्कारी को लिखित में संसूचित किया जायगा।

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा तेंदू पत्तों उपजाने वाले तेंदू पत्तों खरीदने से इन्कार करने पर व्ययित कोई भी

व्यक्ति, उस इन्कारी से पन्द्रह दिन के भीतर वह मामला मण्डल वन अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को भेजेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाय, व जिसकी उस इकाई पर अधिकारिता हो जिसमें पत्ते उपजे हों।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जिकारित प्राप्त होने पर, मंडल वन अधिकारी या ऐसा अधिकारी, यथास्थिति, पटनास्थान पर या मुख्यालय पर विहित रीति से जांच करेगा और संबंधित पत्तों या उनके प्राधिकृत प्राभकर्ताओं को सुनवाई करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और यदि वह पत्तों की खरीद करने से की गयी इन्कारी को अनुचित पाये तो, वह—

(क) यदि वह उक्त पत्तों को खीड़ी बनाने के लिये मत्र भी उपयुक्त समझता है तो वह प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को, यथास्थिति, उन सब पत्तों की खरीदने के निर्देश दे सकेगा और व्ययित व्यक्ति को ऐसा अन्य प्रतिकर भी प्राधिनर्णित कर सकेगा जो उक्त संदेय पत्तों की कीमत के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा वह उचित समझे,

(ख) यदि उसका विचार हो कि उक्त पत्ते खीड़ी बनाने के लिए मत्र अनुपयुक्त हो गये हैं तो, वह व्ययित व्यक्ति को ऐसी किमी भी राशि जो उप-धारा (1) के अधीन उसे संदेय पत्तों की कीमत से कम न हो, एवं ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि के कारण ऐसी संश्लिखित क्षतिपूर्ति का संदाय करने के निर्देश दे सकेगा, जो ऐसी कीमत के बीस प्रतिशत से अधिक न हो जो वह उचित समझे।

(4) इस धारा की धिती भी धात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायगा जिससे कि चिकी के लिये पटनावित पत्तों का विनियोग विभजित हो, यदि राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को वह विश्वास करने का कारण हो कि यह पत्ते उन वनों या भूमियों के हूँ जो राज्य सरकार की हैं तो केवल ऐसे संग्रह प्रभार यदि कोई हों, का ही संदाय किया जायेगा जो राज्य सरकार, समय समय पर, प्रवधारित करे :

परन्तु यह कि कृसा विवाद के मामले में मण्डल वन अधिकारी उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट या ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे विशेषः इस निमित्त सशक्त किया गया हो, उसकी सुनवाई करेगा और उसका निपटारा उनमें संबंधित रीति से करेगा।

10. रजिस्ट्रीकरण.—राज्य सरकार के प्रतिरिक्त प्रत्येक लेंदू पत्ते उपजाने वाला यदि किसी वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों की ऐसी मात्रा से अधिक होने की सम्भावना हो, जो विहित की जाय, तो वह विहित रीति से स्वयं का रजिस्ट्रीकरण करवायेगा।

11. बीड़ी बनाने वालों एवं तेंदू पत्तों का निर्यात करने वालों का रजिस्ट्रीकरण.—

(1) प्रत्येक बीड़ी बनाने वाला एवं तेंदू पत्तों का निर्यात करने वाला व्यक्ति, ऐसी कालावधि के भीतर, ऐसी फीस का संशय करके एवं ऐसी रीति से स्वयं का रजिस्ट्रीकरण करायेगा, जो विहित की जाय।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक बीड़ी बनाने वाला एवं तेंदू पत्तों का निर्यात करने वाला व्यक्ति ऐसी घोषणा, लेखे जोखे एवं विवरणियाँ ऐसे प्ररूप में एवं ऐसे मन्तरान पर ऐसे अधिकारों को प्रस्तुत करेगा जो विहित किये जायं।

12. तेंदू पत्तों का अगमन.—इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या उसका अधिकारी या अधिकारी द्वारा लगे गये तेंदू के पत्तों को निर्यात या अगमन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा राज्य सरकार निर्देश दे।

13. तेंदू पत्तों की खुदरा बिक्री.—(1) कोई भी व्यक्ति तेंदू पत्तों की खुदरा बिक्री नहीं करेगा सिवाय उसके कि जिसे इस धारा के अधीन लाइसेंस मंजूर किया गया हो।

(2) राज्य सरकार, राज्य के भीतर तेंदू पत्तों की खुदरा बिक्री की सुविधा के लिए, उतने ही व्यक्तियों को लाइसेंस मंजूर कर सकेगी जितने वह उचित समझे।

(3) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं तेंदू पत्तों की खुदरा बिक्री को बाधा करता हो ऐसे प्ररूप में ऐसे अधिकारी को ऐसी रीति से शावेदन करेगा, जो विहित की जाय।

14. शक्तियों का प्रयोग.— राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी भी अधिकारी या अधिकारी को, जो सहायक वन संरक्षक 6 रैंक से नीचे न हो, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगी जो कि उसका प्रयोग एवं पालन ऐसी शर्तों एवं नियमों के अधीन करेगा जो राज्य सरकार उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

15. प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्ति.—(1) कोई भी वन अधिकारी जो फोरेंसिक के रैंक से नीचे का न हो या कोई भी पुलिस अधिकारी जो सहायक सब-इन्स्पेक्टर के रैंक से नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या तद्वत बनाने गये नियमों की अनुपालना करने के या स्वयं का समाधान करने के दृष्टिकोण से कि उक्त उपबन्धों की अनुपालना करती गई है;

(i) किसी भी ऐसे व्यक्ति, नाव या गाड़ी को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसका उपयोग तेंदू पत्तों के परिवहन के लिए किया जाना अभिप्रेत हो।

- (ii) किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।
- (iii) तेंदू के ऐसे पत्तों के साथ ही उप-पात्र का जिसमें ऐसे पत्ते रखे गये हों, या ऐसे पत्तों को ले जाने वाली गाड़ी अथवा नावों का अभिग्रहण कर सकेगा जिसके सम्बन्ध में उसे सन्देह हो कि इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है, या किया जाने वाला है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 100 के तलाशी एवं अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबन्ध यथासंभव इस धारा के अधीन ली गयी तलाशी या किये गये अभिग्रहण पर लागू होंगे।

16. शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो—

(क) वह कारावास से दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दंडनीय होगा जो 500) रु. तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा, और

(ख) तेंदू के वे पत्ते या उनका कोई भाग जिनके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन किया गया है, जैसा न्यायालय उचित समझे, सरकार को समपहृत हो जायेगा :

परन्तु यदि न्यायालय को यह राय हो कि सम्पूर्ण पत्तों या उसके किसी भाग यथास्थिति के संबंध में समपहरण आवश्यक नहीं है तो वह, लेखबद्ध कारणों से ऐसा करने से विरत रह सकेगा।

17. प्रयास एवं दुष्प्रेरण.—कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है वह ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला समझा जायेगा।

18. अपराधों का संज्ञान.—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की लिखित में रिपोर्ट के जो कि ऐसे वन अधिकारी द्वारा दी गयी हो जो मण्डल वन अधिकारी के रैंक के नीचे का न हो या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा दी गयी हो जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

19. अपराधों का शमन.—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी को किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो कि नसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिये प्रतिकर

के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करने को सशक्त कर सकेगी जिसके किये जाने का संदेह ऐसे व्यक्ति पर है।

(2) ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का संदाय कर देने पर संदिग्ध व्यक्ति को छोड़ दिया जायगा, तैदू के पत्तों के प्रतिरिक्त उक्तको अग्रगृहीत सम्पत्ति, यदि कोई हो छोड़ दी जायगी, और ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की जायगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे वन अधिकारी को सशक्त नहीं किया जायगा, जो मण्डल वन अधिकारी के रैंक से नीचे का हो और उप-धारा (1) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धनराशि किसी भी मामले में एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

20. सदभावपूर्वक किये गये कार्यों के संबंध में व्यावृत्तियाँ—(1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सदभावना में की गई या सदभावना में किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी भी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्राचार पर या इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण के सम्भाव में की गई या सदभाव में किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी भी बात के द्वारा हुए या संभवतः होने वाले किसी नुकसान अथवा उठाई गई या संभवतः उठाई जाने वाले क्षति के लिये सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

21. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हूये इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबन्धों का क्रियान्वयन करने हेतु नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः एवं पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंधित किये जा सकेंगे, अर्थात्—

(क) धारा 4 के अधीन अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए निवन्धन, शर्तें एवं प्रक्रिया ;

(ख) उन अनुज्ञा-पत्र के निवन्धन एवं शर्तें जिसके अधीन तैदू पत्तों का परिवहन किया जा सकेगा, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा एवं वह रीति जिसमें ऐसा अनुज्ञा-पत्र धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किया जायगा ;

- (ग) (i) धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन समिति के कार्य संचालन की रीति;
- (ii) धारा 6 की उप-धारा (4) के अधीन दिये जाने वाले वे भत्ते जिनके लिये समिति के सदस्य हकदार होंगे;
- (घ) धारा 7 के अधीन तैय्य पत्तों की मूल्य सूची का प्रकाशन;
- (ङ) धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन जांच करने की रीति;
- (च) (i) धारा 10 के अधीन तैय्य पत्तों की मात्रा विहित करना;
- (ii) धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति;
- (छ) (i) वह कालावधि जिसके भीतर वह फीस जिसका संदाय किये जाने पर और वह रीति जिससे धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जायगा;
- (ii) घोषणाएं, लेखे जेबे एवं विवरणियां जो धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत की जायेंगी और वह प्ररूप जिसमें वह अधिकारी जिसको व प्ररूप जिन पर वे प्रस्तुत किये जायेंगे;
- (ज) वह प्ररूप जिसमें, वह प्राधिकारी जिसको और वह रीति जिससे धारा 13 की उप-धारा (3) के अधीन आवेदन किया जायगा;
- (झ) कोई भी अन्य मामला जिसका इस अधिनियम के अधीन या तो स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से विहित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्ररूप नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष उस समय रखा जायगा जब उसका सत्र कुल चौदह दिन की कालावधि के लिये हो, चाहे यह कालावधि एक ही सत्र में समाविष्ट हो या दो उत्तरोत्तर सत्रों में, और जिस सत्र में यह इस प्रकार रखा जाय उसकी समाप्ति से पूर्व या उसके तत्काल पश्चात्पूर्वी सत्र की समाप्ति से पूर्व, यदि उन नियमों में कोई उपान्तरण करने को सदन सहमत हो जाता है या सदन इससे सहमत हो जाता है कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए और अपने ऐसे विनिश्चय को राज-पत्र में अधिसूचित करता है तो वह नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केवल ऐसे उपान्तरित प्ररूप में, यथास्थिति प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि, जिससे कि ऐसा उपान्तरण या वातिनकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

22. इस अधिनियम के अधीन आने वाले प्रयोजनों के लिये तेंदू पत्तों पर राजस्थान वन अधिनियम, 1953 एवं अन्य विधियाँ लागू नहीं होंगी.—(1) राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों के सम्बन्ध में तेंदू पत्तों पर लागू नहीं होगी जिनके लिये इस अधिनियम में उपबंध अन्तर्विष्ट है।

(2) किसी भी अन्य विधि, नियम, आदेश या किसी भी ऐसी अन्य बात में, जिसका राज्य के किसी भी भाग में विधिक प्रवर्तन हो, अन्तर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों के बारे में तेंदू पत्तों पर लागू नहीं होगी जिसके लिये इस अधिनियम में उपबंध अन्तर्विष्ट है।

23. कठिनाइयों का निराकरण.—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार आदेश द्वारा, कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजनाय उसे आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत होने वाली कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो इन उपबंधों से असंगत न हो।

24. निरसन एवं व्याप्ति.—(1) राजस्थान तेंदू पत्तों (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1973) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम दिसम्बर, 1973 के चौथे दिन प्रवृत्त हुआ या।

सम्पतराज सिंघी,
शासन सचिव।

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 11, 1974.

No. F. 2(2) Vidhi/74.—In pursuance of clause (3) of Article 248 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Tendu Patte (Vyapar Ka Viniyaman) Adhiniyam, 1974 (Adhiniyam Sankhya 5 San 1974):—

ENGLISH TRANSLATION

THE RAJASTHAN TENDU LEAVES (REGULATION OF TRADE) ACT, 1974.

(Act No. 5 of 1974.)

[Received the assent of the Governor on the 11th day of April, 1974.]

An

Act

to make provision for regulating in the public interest the trade of Tendu Leaves by creation of State monopoly in such trade.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Rajasthan Tendu Leaves (Regulation of Trade) Act, 1974.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force in such area or areas and on such date or dates as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

2. *Definitions.*—In this Act unless the context otherwise requires:—

(a) "agent" means an agent appointed under section 4;

(b) "Committee" means an Advisory Committee constituted for one or more forest divisions under sub-section (1) of section 6;

(c) "Grower of tendu leaves" means,—(i) in respect of tendu plants grown in areas as may, from time to time, be constituted as reserved or protected forests under the Rajasthan Forest Act, 1953 (Rajasthan Act XIII of 1953), the State Government;

(ii) in respect of tendu plants grown in Panchayat areas as defined in clause (7) of section 2 and clause (i) of sub-section (1) of section 88 of the Rajasthan Panchayat Act, 1953 (Rajasthan Act XXI of 1953), State Government; and

(iii) in respect of tendu plants grown in areas not covered by sub-clause (i) and (ii),:—

(A) the State Government, where the tendu plant is grown on unoccupied land as defined in clause (27) of section 5 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 or on pasture land as defined in clause (28) of section 5 of the said Act;

(B) the land holder or the tenant, as the case may be, in a unit on which the tendu plants grow and includes every person who, from time to time, claims title to such tendu plants through him;

(C) the Bhoodan holder under the Rajasthan Bhoodan Yagna Act, 1954 (Rajasthan Act, XVI of 1954) and Gramdan Kisan under the Rajasthan Gramdan Act, 1971 (Rajasthan Act XII of 1971), as the case may be, in a unit on which the tendu plants grow and includes every person who, from time to time, claims title to such tendu plants through him;

(d) "licensed vendor" in relation to tendu leaves means a person to whom licence is granted under section 13 for retail sale of such leaves;

(e) "retail sale" means a sale of tendu leaves not exceeding such quantity as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in respect of such leaves;

(f) "specified area" means the area specified in the notification under sub-section (3) of section 1;

(g) "tenant" shall have the same meaning as is assigned to this expression by clause (43) of section 5 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;

(h) "unit" means a sub-division of a specified area constituted into a unit under section 3;

(i) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Rajasthan Forest Act, 1953 (Rajasthan Act XIII of 1953) shall have the same meaning respectively for the purpose of this Act, as assigned to them in that Act;

3. *Constitution of units.*—The State Government may divide every specified area into such number of units as it may deem fit.

4. *Appointment of agents.*—(1) The State Government may, for the purpose of purchase of, and trade in, tendu leaves on its behalf, appoint one or more agents in respect of different units and any such agent may be appointed in respect of more than one unit.

(2) The terms, conditions and the procedure for appointment of agents shall be such as may be prescribed.

5. *Restriction on purchase or transport of tendu leaves.*—(1) On the issue of a notification under sub-section (3) of section 1 in any area, no person other than;

(a) the State Government;

(b) an officer of the State Government authorised in writing in that behalf; or

(c) an agent in respect of the unit in which the tendu leaves have grown; shall purchase or transport; tendu leaves.

Explanation I.—Purchase shall include purchase by barter;

Explanation II.—Purchase of tendu leaves from the State Government or the aforesaid Government officer or agent or a licensed vendor shall not be deemed to be a purchase in contravention of the provisions of this Act;

Explanation III.—A person having no interest in the holding who has acquired a right to collect tendu leaves grown on such holding shall be deemed to have purchased such leaves in contravention of the provisions of this Act;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1):—

(a) a grower of tendu leaves may transport his leaves from any place within the unit wherein such leaves have grown to any other place in that unit; and

(b) tendu leaves purchased from the State Government or any officer or agent specified in the said sub-section by any person for manufacture of bidis within the State or by any person for sale outside the State or by the licensed vendor may be transported by such person or such vendor outside the unit in accordance with the terms and conditions of a permit to be issued in that behalf by such authority and in such manner as may be prescribed.

(3) Any person desiring to sell tendu leaves may sell them to the aforesaid Government Officer or agent at any depot situated within the said unit:

Provided that the State Government, the Government Officer or agent shall not be bound to re-purchase tendu leaves once sold to it.

6. *Constitution of Advisory Committee.*—(1) The State Government shall, for each year commencing on the 1st day of July and ending on the 30th day of June next following constitute an Advisory Committee for one or more forest divisions in the State consisting of not more than five members as may be notified by the State Government from time to time for the purpose of advising the State Government in the matter of fixation, from time to time, of a fair and reasonable price of tendu leaves at which tendu leaves may be purchased by the State Government or its authorised officer or agent as are offered for sale in such division or divisions in accordance with the provisions of this Act:

Provided that one of the members shall be from amongst the traders of tendu leaves or manufacturers of bidis and one member shall be from amongst the members of the Vidhan Sabha representing the area.

(2) It shall also be the duty of the Committee to advise the State Government on such other matters as may be referred to it by the State Government.

(3) The business of the Committee shall be conducted in such manner as may be prescribed.

(4) The members of the Committee shall be entitled to such allowances as may be prescribed.

(5) The Committee shall tender its advice to the State Government within such period as the State Government may, for each Committee, specify in this behalf.

7. *State Government to fix price in consultation with Committee.*—The State Government shall, after consultation with the Committee constituted under section 6, fix the price at which tendu leaves shall be purchased by it or by any of its authorised officer or agent, from growers of tendu leaves during the year for which the Committee is constituted under sub-section (1) of section 6 and shall publish the same in the Official Gazette and in such other manner as may be prescribed and the price so fixed shall not be altered during the year to which the price relates;

Provided that, if the Committee fails to tender advice within the period specified under sub-section (5) of section 6 or such further period not exceeding fifteen days as the State Government may allow, the State Government may proceed to fix the price without consultation with the Committee:

Provided further that different prices may be fixed for different units, and in so doing regard shall be had amongst other things to :—

- (a) prices of tendu leaves obtained or fixed under this Act or any other enactment during the preceding three years in respect of the area comprised in the unit;
- (b) the quality of the tendu leaves grown in the unit;
- (c) transport facilities available in the unit;
- (d) the cost of transport; and
- (e) the general level of wages for unskilled labour prevalent in the unit.

8. *Opening of depots and publication of price lists, etc. at the depot.*—There shall be set up in each unit such number of depots, and at such places, as the State Government may, taking into consideration the convenience of the growers of tendu leaves, direct and a price list of tendu leave fixed by the State Government under section 7 and the hours of business shall be prominently displayed on a notice board kept for the purpose at every such depot.

9. *State Government or agent to purchase tendu leaves.*—(1) The State Government or their authorised officer or agent shall be bound

to purchase at the price fixed under section 7, tendu leaves offered for sale at the depot during the hours of business:

Provided that it shall be open to the State Government or the authorised officer or the agent to refuse to purchase any leaves which in their opinion are not fit for the purpose of manufacture of bidis. Such refusal shall be communicated in writing duly signed, dated and sealed by that authority.

(2) Any person aggrieved by refusal to purchase his leaves by an authorised officer or agent under the proviso to sub-section (1) may, within fifteen days therefrom, refer the matter to the Divisional Forest Officer, or such other officer, who may be empowered by the State Government in this behalf, having jurisdiction over the unit in which the leaves have grown.

(3) On receipt of a complaint under sub-section (2), the Divisional Forest Officer or such other officer, as the case may be, shall hold an enquiry on the spot or at the headquarters in the prescribed manner and after hearing the parties concerned or their authorised agent shall pass such orders as he may deem fit and in case he finds the refusal to purchase the leaves to be improper, he may,—

(a) if he considers the leaves in question still suitable for the manufacture of bidis, direct the authorised officer or agent, as the case may be, to purchase the same and may also award to the person aggrieved, such further compensation not exceeding twenty per cent of the price of the leaves payable to him, as he may deem fit;

(b) if he considers that the leaves in question have since then become unsuitable for the manufacture of bidis, direct the payment to the person aggrieved, of any amount not less than the price of such leaves payable to him under sub-section (1) and such further compensation not exceeding twenty per cent of such price as he may deem fit, by way of damages for the loss, suffered by such person.

(4) Nothing in this section shall be construed so as to debar the appropriation of leaves offered for sale, if the State Government or its authorised officer or the agent has reason to believe that the leaves appertain to forests or lands belonging to the State Government and paying only such collection charges, if any, as the State Government may from time to time determine

Provided that in the case of any dispute, the Divisional Forest Officer or such other officer who may be specifically empowered in this behalf as specified in sub-section (2), shall hear and dispose of the same in the manner provided therein.

10. *Registration.*—Every grower of tendu leaves other than the State Government, shall, if the quantity of leaves grown by him during a year is likely to exceed such quantity as may be prescribed, get himself registered in the prescribed manner.

11. *Registration of manufacturer of bidis and exporters of tendu leaves.*—(1) Every manufacturer of bidis and every exporter of tendu leaves shall get himself registered within such period, on payment of such fee and in such manner as may be prescribed.

(2) Every manufacturer of bidis and every exporter of tendu leaves registered under sub-section (1) shall furnish such declarations, accounts and returns in such forms and to such officer and at such intervals as may be prescribed.

12. *Disposal of tendu leaves.*—Tendu leaves purchased by the State Government or by its officer or agent under this Act shall be sold or otherwise disposed of in such manner as the State Government may direct.

13. *Retail sale of tendu leaves.*—(1) No person shall engage himself in retail sale of tendu leaves except under a licence granted under this section.

(2) The State Government may, for the purpose of facilitating retail sale of tendu leaves within the State, grant licences to as many persons as it may deem fit.

(3) Any person who desires to engage himself in retail sale of tendu leaves shall make an application in such form, to such authority and in such manner as may be prescribed.

14. *Delegation of powers.*—The State Government may, by order, delegate any of its powers or functions under this Act or the rules made thereunder to any officer or authority not below the rank of an Assistant Conservator of Forests who shall exercise or perform the same, subject to such conditions and restrictions as the State Government may specify in the order.

15. *Power of entry, search, seizure, etc.*—(1) Any Forest Officer not below the rank of a Forester or any Police Officer not below the

rank of an Assistant Sub-Inspector or any other person authorised by the State Government may with a view to securing compliance with the provisions of this Act or the rules made thereunder or to, satisfying himself that the said provisions have been complied with;

(i) stop and search any person, boat or vehicle intended to be used for the transport of tendu leaves;

(ii) enter and search any place;

(iii) seize tendu leaves in respect of which he suspects that any provision of this Act or the rules made thereunder has been, is being or is about to be contravened along with the receptacle containing such leaves, or the vehicles or boats used in carrying such leaves.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) relating to search and seizure, shall so far as may be, apply to searches and seizures under this section.

16. *Penalty.*—If any person contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder:—

(a) he shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to five hundred rupees or with both; and

(b) the tendu leaves in respect of which such contravention has been made or such part thereof as the court may deem fit shall be forfeited to the Government:

Provided that if the Court is of the opinion that it is not necessary to direct forfeiture in respect of the whole, or any part of the leaves, as the case may be, it may, for reasons to be recorded refrain from doing so.

17. *Attempts and abetment.*—Any person who attempts to contravene or abets the contravention of any provision of this Act or the rules made thereunder shall be deemed to have contravened such provision.

18. *Cognizance of offences.*—No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in

writing of the facts constituting such offence made by any Forest Officer not below the rank of a Divisional Forest Officer or by any other officer as may be authorised by the State Government in this behalf.

19. *Compounding offences.*—(1) The State Government may, by notification, empower a Forest Officer to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed an offence punishable under this Act, a sum of money by way of compensation for the offence which such person is suspected to have committed.

(2) On the payment of such sum of money to such officer, the suspected persons shall be discharged, the property, other than tendu leaves, if any, seized shall be released, and no further proceedings shall be taken against such person or property.

(3) A Forest Officer shall not be empowered under this Act unless he is a Forest Officer, of a rank not inferior to that of a Divisional Forest Officer, and the sum of money accepted as compensation under sub-section (1) shall in no case exceed the sum of one thousand rupees.

20. *Savings in respect of acts done in good faith.*—(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be so done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of the provisions of this Act or by anything which is in good faith done or intended to be so done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

21. *Power to make rules.*—(1) The State Government, may subject to the condition of previous publication, make rules to carry out all or any of the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the terms, conditions and the procedure for appointment of agents under section 4;

- (b) the terms and conditions of a permit subject to which tendu leaves may be transported, the authority by which and the manner in which such permit shall be issued under clause (b) of sub-section (2) of section 5;
- (c) (i) the manner of conduct of business of the Committee under sub-section (3) of section 6;
(ii) the allowances to which the members of the Committee shall be entitled under sub-section (4) of section 6;
- (d) the publication of the price list of tendu leaves under section 7;
- (e) the manner of holding enquiry under sub-section (3) of section 9;
- (f) (I) the prescription of quantity of tendu leaves under section 10;
(II) the manner of registration under section 10;
- (g) (I) the period within which, the fee on payment of which and the manner in which the registration under sub-section (i) of section 11 shall be made;
(II) declarations, accounts and returns which shall be submitted under sub-section (2) of section 11 and the form in which, the officer to whom and the intervals at which they shall be submitted;
- (h) the form in which, the authority to whom and the manner in which an application under sub-section (3) of section 13 shall be made;
- (i) any other matter which is either expressly or impliedly required to be prescribed under this Act.

(3) Every rule made under this Act, shall be laid as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rules should not be made, and notifies such decision in the Official Gazette, the rules shall from the

date of publication of such notification have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

22. Rajasthan Forest Act, 1953 and other laws not to apply to tendu leaves for purposes covered under this Act.—(1) Nothing contained in the Rajasthan Forest Act, 1953 (Rajasthan Act XIII of 1953) shall apply to tendu leaves in respect of matters for which provisions are contained in this Act.

(2) Nothing contained in any other law, rule, order or in any other thing having a force of law in any part of the State shall apply to tendu leaves in respect of matters for which provisions are contained in this Act.

23. Removal of difficulties:—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, do anything not inconsistent with such provisions, which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

24. Repeal and Savings:—(1) The Rajasthan Tendu Leaves (Regulation of Trade) Ordinance, 1973 (Ordinance No. 10 of 1973) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act had come into force on the fourth day of December, 1973.

सम्पत राज सिन्धी,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.